THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a):—

Sl. No.	Name of Public Sector Wagon Units	(Licensed Capacity in terms of FWUs)
1.	Bharat Wagon & Engineering Company Ltd. (Muzaffarpur)	2000
2.	Bharat Wagon & Engineering Company Ltd. (Mokameh)	2000
3.	Braithwaite & Company Ltd. (Calcutta)	3000
4.	Burn Standard Company Ltd. (Burnpur)	3911
5.	Burn Standard Company Ltd. (Howrah)	4750
6.	Jessop & Company Ltd. (Calcutta)	3279
7.	Southern Structurals Company Ltd. (Madras)	2000

(b) The capacity utilisation of these units, excluding Southern Structurals Company Ltd., varies from a peak of 65.36% during 1992-93 to 44.72% during 1995-96.

(c) and (d) No proposal for setting up a wagon factory has been received in this Ministry.

(e) There is no shortage of wagon orders at present.

(f) Does not arise in view of (e) above.

राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में परिवर्तन

925. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994 में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई "खान एवं खनिज अधिनियम, 1957" का संशोधन करने वाली अधिसूचना का स्थान लेने वाले "खान और खनिज" (विनियमन एवं विकास) अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हीरा, यूरेनियम एवं सोने जैसे बहुमूल्य खनिजों के संबंध में नीतिगत निर्णय लेने की शक्ति केन्द्रीय सरकार के पास है; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने देवभोग हीरा खान को पट्टे पर देने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को अपनी स्वीकृति दे दी है?

खाद्य मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव): (क) राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा वर्ष 1993 में की गई और 5 मार्च, 1993 को इसे सभा के पटल पर रख दिया गया था। इस नई नीति के तहत खनिज क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ, घरेलू और विदेशी दोनों पूंजी निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकी आदि के प्रवाह की गति प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की सहभागिता हेतु 13 खनिजों का आरक्षण समाप्त किया जाना शामिल है। इसके अलावा, वर्ष 1994 में खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करके इस नीति में उपयुक्त परिवर्तन भी किए गए हैं।

(ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे प्रदान किए जाते हैं। पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टे की अनुमति के लिए आवेदन पत्र राज्य सरकार को ही देना होता है। चूंकि हीरे आदि जैसे खनिज, खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची में शामिल हैं इसलिए कानून के प्रावधानों के अनुसार पूर्वेक्षण लाइसेंस/खनन पट्टा प्रदान करने से पहले इनके लिए केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

(ग) जी, नहीं।

मध्य प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में आदिवासियों हेतु विकास-योजना

926. **श्री अजीत जोगी:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के लाभार्थ सुदूर क्षेत्रों के लिए विकास योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान उक्त योजना हेतु कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान का गई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं?

कल्याण मंत्री (श्री बलवंत सिंह रामूवालिया): (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और इसके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।